क्रम सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	लम्बाई (कि.मी)
17	मेघालय	1	133
18	मिजोरम	3	441
19	नागालैंड	1	220
20	उड़ीसा	4	837
21	पांडिचेरी	2	104
22	पंजाब	5	980
23	राजस्थान	5	1709
24	सिक्किम	1	30
25	तमिलनाडु	16	3355
26	त्रिपुरा	1	135
27	उत्तर प्रदेश	4	1856
28	पश्चिम बंगाल	7	530
		135	39388

एल .पी. जी .पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गो का आवंटन

235.**श्री रामजी लाल**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल एलपीजी एजेन्सिया और पेट्रोल स्टेशनों /बिक्री केन्दो का कितना प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूतिच जनजातियों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) क्या सरकार यह सुविधा देश में अन्य पिछड़े वर्गो को भी उपलब्ध करायेगी जोकि देश की जनसंख्या के 27 प्रतिशत हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) (क) विद्यमान नीति के मुताविक तेल चयन बोर्डो के माध्यम से आवंटित की गई

।

डीलरशिपों / डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

(ख) और (ग) वर्द्यमान में डीलरशिपों /- डिस्ट्रीब्यूटरिशपों के आवंटन में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध कराना व्यवहार्य नही है । वे आरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत विद्यमान श्रेणियों के अधीन अवसरों से लाभ उठा रही हैं।

कमांडो के प्रशिक्षण में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों की अनुपस्थिति

236.**श्री नागमणि** :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस में कमांडों का प्रशिक्षण ले रहे 147 सब- इसंपैक्टर अनुपस्थित पाये गये हैं।